संख्या-67/2016/2819/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।।

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 08 नवम्बर, 2016

विषयः प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग'2 के शासनादेश संख्या-1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में लाभार्थियों को दिये जाने वाले घी का मैन्यू 20 ग्राम अंकित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पत्र दिनांक 01.09.2016 के क्रम में 06 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को भोजन के मैन्यू के अन्तर्गत दिये जा रहे "20 ग्राम प्रतिदिन" देशी घी के स्थान पर "20 मिली लीटर प्रतिदिन" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पत्र दिनांक 16.08.2016 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अति कुपोषित बच्चों हेतु आउटसोर्सिंग के कारण पी0सी0डी0एफ0 द्वारा की जा रही घी की आपूर्ति की दरों में संशोधन कर रू0 405.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर रू0 425.50 प्रति लीटर किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि अतिकुपोषित बच्चों हेतु हौसला पोषण योजना में भोजन आदि के लिए स्वीकृत दर रूपये 14.00 प्रति के अन्तर्गत भोजन की दर 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों हेतु रूपये 1.75 प्रति अतिकुपोषित बच्चा एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों हेतु रूपये 2.00 प्रति अति कुपोषित बच्चा ही रहेगी। इसी प्रकार फल की दर रूपये 4.00 प्रति अति कुपोषित बच्चा ही रहेगी। घी की दर रूपये 8.11 के स्थान पर बढ़ाकर रूपये 8.51 प्रति 20 एम0एल0 प्रति बच्चा इस आशय से किया जाता है कि पी0सी0डी0एफ0 द्वारा रूपये 8.51 प्रति लक्षित बच्चे के आधार पर बिल प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बढी दर पर पी0सी0डी0एफ0 को भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी, किन्तु इस हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति नहीं की जायेगी। पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले घी की दर भविष्य में कमी होने पर पुनः घी की आपूर्ति की दर संशोधित की जायेगी और पी0सी0डी0एफ0 द्वारा घटी दरों पर बिल प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु उक्त स्थिति में भी भोजन व फल की प्रति लाभार्थी दर अपरिवर्तित रहेगी।

4. उक्त शासनादेश संख्या-1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।, दिनांक 17 जून, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
13. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0
14. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
15. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
16. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उ0प्र0।
17. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।